

प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित- 06-09-2020 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि जनपद न्यायालय, सीतापुर में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची डा० पी० के० सिंह को प्रेषित की गयी थी, जिसके अनुपालन में डा० पी० के० सिंह द्वारा दिनांक- 02.09.2020 को कोविड-19 के परीक्षण हेतु सूची में वर्णित कर्मचारियों के सैम्पल लिये गये थे। परीक्षण के रिपोर्ट की सूची डा० पी० के० सिंह द्वारा दिनांक- 06-09-2020 को प्रेषित की गयी है, रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय में कार्यरत छब्बीस (26) कर्मचारी घनात्मक पाये गये हैं। अतः प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर को साफ-सुथरा तथा पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार 05 दिवस के लिये न्यायालय बंद कराया जाये। प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/eCouets/Allahabad: Dated- 03 June 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय परिसर स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक- 07-09-2020 से 11-09-2020 (पाँच दिन) तक के लिये बृहद सेनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सेनेटाइजेशन के पश्चात् न्यायालय परिसर दिनांक- 14-09-2020 को पूर्ववत् खुलेगा।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/eCouets/Allahabad: Dated- 03 June 2020 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशापी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर प्रतिदिन जनपद न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/कार्यालय/अनुभाग/परिसर/भवन/बार एसोसिएशन/आवासीय परिसर जजेज कालोनी को सम्पूर्ण रूप से सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ-सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर एवं नजारत कार्यालय से सम्बद्ध कैशियर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेनेटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यक सहायता करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1298/LXXXVII-CPC /eCouets/Allahabad: Dated- 28 July 2020 के अनुपालन में प्रशासनिक आदेश संख्या- 296/2020 में जारी निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र न्यायाधीश, विशेष क्षेत्राधिकार वाले समस्त अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिविल जज (सी०डि०), सिविल जज (जू०डि०) सीतापुर, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने आवासीय कार्यालय पर उपस्थित रहकर न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे।

न्यायालय के बंद रहने दौरान उपरोक्त संचालित न्यायालयों के कार्यालय खुलेंगे एवं सम्बंधित न्यायालयों के कर्मचारीगण केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष से सम्पर्क कर प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रार्थना पत्र जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित अधिकारीगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन नियत एवं निस्तारित होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट समय 03 बजे तक केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 1298/LXXXVII-CPC /eCouets/Allahabad: Dated- 28 July 2020 के प्रस्तर संख्या- 3 में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अधिवक्तागण द्वारा आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना पत्रों को जिला न्यायालय की ई-मेल आई०डी०-dcsitapurup@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकता है।


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त हेतु Jitsi-meet software प्रयोग किया जा सकता है जिसका लिंक न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अधिवक्ता/अभियोजन को शेयर किया जायेगा। विद्वान अधिवक्तागण और अभियोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपने मामले की सुनवाई करा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु जो Jitsi-meet software प्रयोग होगा उसके प्रयोग करने का तरीका जिला न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय की कार्य-प्रणाली को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक- 07-09-2020 से 11-09-2020 (पाँच दिन) को जनपद सीतापुर के बाह्य न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) विसवां एवं सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद तथा ग्राम न्यायालय सिधौली पूर्ववत् खुले रहेंगे।


सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

आदेश की एक प्रति सिस्टम आफिसर,केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, दीवानी न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

  
(कुलदीप कुमार-II)  
जनपद न्यायाधीश,  
सीतापुर।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष,बचाव एवं राहत समिति, सीतापुर।
2. जिला अधिकारी, सीतापुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर।
5. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतापुर।
6. अध्यक्ष/ सचिव, बार एसोसिएशन, सीतापुर।
7. जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सीतापुर।
9. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।

  
(कुलदीप कुमार-II)  
जनपद न्यायाधीश,  
सीतापुर।